



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

7 चैत्र, 1945 (श०)

संख्या - 190 राँची, मंगलवार,

28 मार्च, 2023 (ई०)

पर्यटन, कला-संस्कृति, खेलकूद एवं युवाकार्य विभाग

अधिसूचना

28 मार्च, 2023

विभाग के नियंत्रणाधीन डे-बोर्डिंग क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्रों का अधिष्ठापन एवं संचालन हेतु मार्गदर्शिका सिद्धांत

संख्या-01/खेल-01/19/क 05--विभिन्न खेलों में विशिष्टता झारखण्ड राज्य की पहचान रही है। गाँव के स्तर पर खेल प्रतिभाओं की पहचान व उन्हें प्रशिक्षण के सक्षम स्तर तक ले जाना हमेशा से एक चुनौती है। ऐसी परिस्थिति में राज्य के बच्चों में खेल भावना जागृत करने एवं इसे व्यापकता प्रदान करने के लिए निम्नतम सामाजिक इकाई से समन्वय स्थापित कर स्थानीय स्तर पर खेल प्रतिभाओं के विकास हेतु 'डे-बोर्डिंग क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्र' (बालक/बालिका) की संकल्पना की गई है।

1. डे-बोर्डिंग क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्रों (बालक/बालिका) की स्थापना हेतु मार्गदर्शिका सिद्धांत:-

- राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी प्रखण्डों में प्राथमिक खेल विधाओं यथा; फुटबॉल, एथलेटिक्स, हॉकी एवं तीरन्दाजी के एक या एक से अधिक (बालक एवं बालिका दोनों वर्गों हेतु) डे-बोर्डिंग क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया जाएगा।

- (ii) 'डे-बोर्डिंग क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्र' का उद्देश्य, व्यापक स्तर पर अंशकालीन खेल प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना है, जिसके माध्यम से गाँव-गाँव के बच्चे खेल से जुड़ सकें एवं खेल जागरूकता का व्यापक प्रचार-प्रसार हो सके ।
- (iii) डे-बोर्डिंग क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्र प्रखण्ड मुख्यालय में अवस्थित किसी विद्यालय अथवा स्टेडियम में खोले जायेंगे, जिसके लिए संबंधित विद्यालय के प्राचार्य अथवा स्थानीय जन प्रतिनिधि अथवा ऐसी कोई खेल संस्था, जो लगातार 03 (तीन) वर्षों से प्रशिक्षण कार्य करा रही हो, संबंधित जिले के उपायुक्त को आवेदन समर्पित कर सकेंगे ।
- (iv) किसी भी स्थान पर डे-बोर्डिंग क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्र खोलने हेतु संबंधित जिला के उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला खेल संचालन समिति की अनुशंसा आवश्यक होगी। जिला खेल संचालन समिति डे-बोर्डिंग क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु अनुशंसा करने के पूर्व निम्नांकित बिन्दुओं के आधार पर निर्णय लेगी:
- संबंधित क्षेत्र में खेल की लोकप्रियता ।
 - खेल स्टेडियम/खेल मैदान/विद्यालय की उपलब्धता ।
 - निकटतम विद्यालय की दूरी ।
 - पेयजल की उपलब्धता ।
 - ट्रेसिंग रूम की उपलब्धता ।
 - शौचालय की उपलब्धता ।
- (v) अन्य खेल विधाओं (ओलम्पिक/एशियन गेम्स/कॉमनवेल्थ गेम्स/राष्ट्रीय खेल में शामिल खेल) के डे-बोर्डिंग क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना क्षेत्र विशेष में खेल की लोकप्रियता, खेल संघ द्वारा केन्द्र खोलने की मांग करने पर एवं आधारभूत संरचना की उपलब्धता को देखते हुए किया जाएगा ।
- (vi) प्रत्येक केन्द्र पर एक साईन-बोर्ड लगाई जायेगी, जिसपर केन्द्र का नाम, पूर्ण पता, प्रशिक्षक का नाम एवं मोबाईल संख्या इत्यादि अंकित होगा ।
- (vii) जिला खेल संचालन समिति से प्राप्त प्रस्ताव की समीक्षा एवं अग्रेत्तर अनुशंसा विभागीय स्तर पर गठित अनुशंसा समिति द्वारा की जाएगी, जो निम्नवत् होगी:-

क्र०सं०	नाम एवं पदनाम	अभ्युक्ति
1.	निदेशक, खेलकूद एवं युवाकार्य निदेशालय, झारखण्ड, राँची	अध्यक्ष
2.	आंतरिक वित्तीय सलाहकार, पर्यटन, कला-संस्कृति, खेलकूद एवं युवाकार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।	सदस्य

3.	वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के प्रतिनिधि। (अवर सचिव से अन्यून स्तर के पदाधिकारी)	सदस्य
4.	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के प्रतिनिधि। (अवर सचिव से अन्यून स्तर के पदाधिकारी)	सदस्य
5.	उप निदेशक, झारखण्ड खेल प्राधिकरण, राँची।	सदस्य
6.	प्रभारी, भारतीय खेल प्राधिकरण केन्द्र, राँची।	सदस्य
7.	झारखण्ड ओलम्पिक संघ के प्रतिनिधि	सदस्य

(viii) विभागीय अनुशंसा समिति की अनुशंसा पर डे-बोर्डिंग क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु माननीय विभागीय मंत्री द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाएगी।

2. डे-बोर्डिंग क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्र (बालक/बालिका) में प्रशिक्षकों की नियुक्ति:-

(i) प्रत्येक डे-बोर्डिंग क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्र में 01 (एक) क्रीड़ा प्रशिक्षक की नियुक्ति की जायेगी, जिन्हें श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा अतिकुशल सरकारी दैनिक कर्मियों हेतु निर्धारित अद्यतन पारिश्रमिक राशि का भुगतान किया जाएगा।

(ii) दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से जिलावार आवेदन आमंत्रित किये जाएंगे। संबंधित जिले में प्रशिक्षक नहीं मिल पाने पर निकटवर्ती जिला के प्रशिक्षक को प्राथमिकता दी जायेगी।

(iii) क्रीड़ा प्रशिक्षक के रूप में नियुक्ति हेतु निम्नांकित अहर्ताएँ होनी चाहिए:-

A. शैक्षणिक योग्यता-स्नातक उत्तीर्ण एवं

खेल योग्यता - भारतीय खेल प्राधिकरण अन्तर्गत संचालित National Institute of Sports से सर्टिफिकेट कोर्स/विभिन्न खेल संघों द्वारा जारी प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र (Level - C to A)/एम०पी०एड०/बी०पी०एड० /बी०पी०ई०।

अथवा

B. शैक्षणिक योग्यता-इन्टरमिडियट उत्तीर्ण एवं

खेल योग्यता - राष्ट्रीय खिलाड़ी पदक विजेता/अन्तरराष्ट्रीय खिलाड़ी

(iv) प्रशिक्षक के लिए आवेदन करने हेतु आयु सीमा:- 20-50 वर्ष।

(v) प्रत्येक तीन वर्षों के अन्तराल पर प्रदर्शन के आधार पर प्रशिक्षकों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जायेगा, जिसके आधार पर उनकी सेवा समाप्त या नवीनीकरण किया जा सकेगा।

- (vi) प्रशिक्षकों की सेवा प्रति कार्य दिवस न्यूनतम 2 घंटे व अधिकतम 3 घंटे की होगी, सप्ताह में कम-से-कम 01 दिन (रविवार) का अवकाश होगा ।
- (vii) प्रशिक्षक क्रीड़ा निदेशालय के नियमित कर्मी नहीं माने जाएँगे, न ही वे संविदा के आधार पर अथवा नियमित आधार पर नियुक्ति का दावा करने के पात्र होंगे ।
3. डे-बोर्डिंग क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्र (बालक/बालिका) में प्रशिक्षुओं के नामांकन हेतु शर्तें एवं मानक:-
- (i) खिलाड़ियों को डे-बोर्डिंग क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेश देने हेतु पात्रता का निर्धारण निम्नांकित शर्तों के अधीन किया जाएगा-
- A. खिलाड़ी वर्तमान वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल को 08 वर्ष की आयु पूर्ण कर लिया हो एवं 12 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं किया हो ।
- B. मेडिकल फिटनेस- खिलाड़ी निर्धारित चिकित्सकीय परीक्षण में उपयुक्त पाया जाना चाहिए ।
- C. डे-बोर्डिंग क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्र में प्रत्येक खेल के लिये खिलाड़ियों को प्रवेश देने हेतु निदेशक, खेलकूद एवं युवाकार्य निदेशालय द्वारा संख्या निर्धारित की जाएगी। खिलाड़ियों का झारखण्ड राज्य का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य होगा ।
4. चयन की प्रक्रिया:-
- A. चयन हेतु सूचना-सामान्यतया प्रति वर्ष मार्च से अप्रैल के मध्य चयन सूचना जारी किया जायेगा। निदेशक, खेलकूद एवं युवाकार्य निदेशालय झारखण्ड, राँची चयन सूचना की तिथि परिवर्तन करने हेतु सक्षम होंगे। आवश्यकता होने पर वित्तीय वर्ष में किसी भी तिथि में चयन सूचना जारी की जा सकेगी। उक्त सूचना विभागीय वेबसाईट एवं प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से समाचार पत्रों में प्रकाशित करायी जायेगी ।
- B. चयन के मानक-चयन हेतु मानक निदेशक, खेलकूद एवं युवाकार्य निदेशालय द्वारा तैयार किये जायेंगे। उक्त मानक तैयार करने हेतु निदेशक, खेलकूद एवं युवाकार्य निदेशालय, झारखण्ड, राँची एक समिति का गठन कर सकेंगे, जिसमें संबंधित खेल के विशेषज्ञ भी होंगे। चयन मानक के आधार (बैटरी टेस्ट एवं स्कील टेस्ट) पर खिलाड़ियों का परीक्षण किया जायेगा एवं परीक्षण परिणामों के आधार पर प्रशिक्षणार्थियों का चयन किया जायेगा ।
- C. समय-समय पर राज्य में आयोजित विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को संबंधित प्रशिक्षक की अनुशंसा पर निदेशालय के अनुमोदन उपरांत आवासीय प्रशिक्षण केन्द्र में नामांकन हेतु चयन किया जा सकेगा ।
- D. संबंधित क्रीड़ा प्रशिक्षकों के अनुरोध पर आवश्यकतानुसार उन्हें पॉकेट चयन के माध्यम से प्रशिक्षुओं के चयन करने की अनुमति निदेशालय द्वारा दी जा सकेगी ।

- E. प्रशिक्षु की चयन हेतु प्रखण्ड स्तर पर प्रचार-प्रसार कर समय एवं तिथि का निर्धारण करते हुए चयन प्रक्रिया अपनायी जायेगी।
- F. चयन किए जाने वाले बच्चे प्रशिक्षण केन्द्र से 05 किलोमीटर की परिधि के भीतर स्थायी रूप से रहते हों तथा न्यूनतम 08 वर्ष व अधिकतम 12 वर्ष की आयु के हों।
- G. चयनित बच्चों के उम्र व स्थानीय निवास की सत्यता की जिम्मेवारी संबंधित जिला खेल पदाधिकारी एवं संबंधित प्रशिक्षण केन्द्र के प्रशिक्षक की होगी।
- H. चयन के एक सप्ताह के भीतर चयनित बच्चों का पूर्ण विवरण विहित प्रपत्र में भरकर प्रशिक्षक सक्षम प्राधिकार को उपलब्ध कराएँगे, व आदेश प्राप्त होने पर नामांकन करेंगे।
5. डे-बोर्डिंग क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्र (बालक/बालिका) में निम्नांकित सुविधाएँ दी जायेगी:-
- वे खिलाड़ी, जिन्हें तकनीकी चयन प्रक्रिया के पश्चात चयनित कर प्रशिक्षण हेतु डे-बोर्डिंग क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेश दिया गया हो, उन्हें रु० 500/- (पाँच सौ रुपये) प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाएगा।
 - खेल उपकरण/खेल सामग्री-डे-बोर्डिंग क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्र के प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण के लिए आवश्यक खेल उपकरण एवं खेल सामग्री उपलब्ध कराये जायेंगे।
 - खेलकिट-वर्ष में 1 (एक) बार प्रशिक्षुओं को एक-एक सेट खेल किट (टी-शर्ट एवं शॉर्ट्स, वार्मअप शूज, संबंधित खेल विशेष के लिए जूते, मोजे, ट्रैकसूट) उपलब्ध कराये जाएँगे।
 - बीमा-खिलाड़ियों का चिकित्सा एवं दुर्घटना बीमा कराया जा सकेगा।
 - चिकित्सा व्यय- खिलाड़ी के चिकित्सा बीमा के बावजूद भी यदि खिलाड़ी की चिकित्सा में कोई अतिरिक्त राशि व्यय होती है, तो खिलाड़ी की चिकित्सा में उक्त राशि व्यय की जा सकेगी।
 - प्रशिक्षण केन्द्र के प्रशिक्षणार्थियों का प्रत्येक तीन माह में चिकित्सीय जाँच करायी जाएगी।
 - विशिष्ट प्रशिक्षण/एडवांस कोचिंग डे-बोर्डिंग क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्र के खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर की तकनीकी कौशल, प्रतियोगिताओं में खेलने के अनुभव हेतु समय-समय पर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, ओलम्पियन, विशिष्ट प्रशिक्षकों द्वारा एडवांस कोचिंग, कैम्प का आयोजन किया जा सकेगा।
6. डे-बोर्डिंग क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्र (बालक/बालिका) में नामांकित बच्चों के नामांकन की समाप्ति के निम्नांकित कारण होंगे
- स्वेच्छा से केन्द्र छोड़ने के आवेदन की मंजूरी जिला खेल पदाधिकारी के द्वारा दिए जाने पर।
 - उच्चतर खेल प्रशिक्षण केन्द्र (झारखण्ड सरकार के आवासीय खेल प्रशिक्षण केन्द्र, साझा खेल केन्द्र एवं एकलव्य क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्र) में चयन होने पर।

- C. प्रशिक्षण के दौरान खेल कुशलता में वृद्धि नहीं होने पर ।
- D. लगातार 30 दिनों तक बगैर सूचना अभ्यास में अनुपस्थित होने पर ।
- E. 15 वर्ष की उम्र पूर्ण होने पर (जिस वर्ष आयु 15 वर्ष पूर्ण हो रही हो, उस वर्ष के 31 दिसम्बर को) अथवा दसवीं की परीक्षा उत्तीर्ण होने पर ।
- F. संबंधित जिला खेल पदाधिकारी के द्वारा सभी नामांकित बच्चों के खेल प्रशिक्षण का मूल्यांकन अपने स्तर से कराया जाएगा, खेल कुशलता अपेक्षित कुशलता प्रदर्शित नहीं करने वाले बच्चों के नामांकन समाप्ति की कार्रवाई की जाएगी ।
7. डे-बोर्डिंग प्रशिक्षण केन्द्र (बालक/बालिका) में प्रवेश हेतु अनुबंध एवं प्रवेश का नवीनीकरण-
- डे-बोर्डिंग क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्र में खिलाड़ियों को सामान्यतया तीन से पाँच वर्ष के लिए प्रवेश दिया जाएगा तथापि खिलाड़ियों के प्रवेश का प्रति वर्ष नवीनीकरण होगा। उक्त नवीनीकरण खिलाड़ियों के खेल प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। खिलाड़ियों के प्रवेश के नवीनीकरण की अनुशंसा करने हेतु निदेशक, खेलकूद एवं युवाकार्य निदेशालय, झारखण्ड, राँची द्वारा एक समिति का गठन किया जाएगा जिसमें संबंधित खेल के विशेषज्ञ भी सम्मिलित होंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

मनोज कुमार,
सरकार के सचिव
